

प्रश्न,

**श्रीमत्प्रधान मंत्री
श्रीमत्सर्वोप
श्रीमत्प्रधान मंत्री ।**

तथा,

**श्रीमत्प्रधान मंत्री
श्रीमत्सर्वोप
श्रीमत्प्रधान मंत्री ।**

विभाग 17: अनुभाग

संख्या: दिनांक: 10 अप्रैल, 2004

विषय:-

श्री श्रीमत्प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन हेतु आरक्षण वाले कक्षाओं के अभाव में सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हेतु अनुपात प्रदान का दिने जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए इस पत्र लिखने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सीटों की संख्या** बढ़ाने की संख्या हेतु अनुपात प्रदान का दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनुपात नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रोजेक्टा तैनाती की तत्पश्चात् पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रत्येक तैनाती में संस्था निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 138 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उक्त 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैदिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित मुकदमे अधिक मुक्त नहीं किया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/जीसीएफर कि अनुदान स्वीकृति केन्द्रित उच्च शिक्षा नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संख्या प्राप्त होने की तिथि से 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः तैनाती हो जायेगा ।

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं विद्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से भी वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों को सेवा शीत कक्षाओं और उन्हें सहायता प्राप्त आंतराज्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतन-विद्युत्त का लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश विगत दिये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यार्थी जो 'रिजार्ड' निर्धारित प्रपत्र/पंजीकरणों में रखा जायेगा।
- 191 उक्त बातों में राज्य सरकार 'सूचना' विभाग के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिष्कार नहीं किया जायेगा।

प्रतिज्ञा कि मैं और मेरे सहयोगी इस दस्तावेज़ के अन्तर्गत विहित कर के सभी नियमों का पालन करूँगा/करेंगी और इन नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा/करेंगी।

उक्त प्रतिज्ञा का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृत्त या विधिगत बाधाएँ हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुरोधित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय,

श्रीमान श्रीमान

पुनर्निर्देश दिनांक 17/11/20

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **असम।**
- 3- शिक्षा विभाग निरीक्षक, **असम कार्यालय।**
- 4- निरीक्षक, जे.एम. भारतीय विद्यालय, 3090, बंगलूर।
- 5- प्रबंधक, **श्री श्रीमन् महादेव चंद्रकांत चंद्रकांत कार्यालय।**
- 6- मार्ग सूचक।

अज्ञात *Calig*

श्रीमान श्रीमान

Sarita

Principal
 St. Mary's School
 Block, Garima Garden
 Conda, Ghaziabad
 to CBSE-2136677

Arthur Samuel
MANAGER
ST. MARY'S SCHOOL
K-BLOCK, GARIMA GARDEN
GHAZIABAD U.P-201005